न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
261 / 2016	03.11.2016	24.02.2021

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति नाई निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. सुनील पुत्र रामसिंह जाति नाई निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादीगण

बनाम

1. दयाराम पुत्र सुलतान जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. रामकुवार पुत्र सुलतान जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: असल प्रतिवादीगण

3. सुनीता पुत्र रामसिंह जाति नाई हाल पत्नी दयानन्द निवासी नया गांव चक सं0 1 नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
4. सरोज पुत्री रामसिंह जाति नाई हाल पत्नी सतीश निवासी बेरी तहसील व जिला महेन्द्रगढ, हरि0।

–: तरतीबी प्रतिवादीयान

दावाः– आदेशात्मक व्यादेश मय हुकमईतनाई दवामी

–: निर्णय :–

दिनांक :– 24.02.2021

उपस्थिति :–

1– श्री शोभाराम चौधरी, वकील वादीगण

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है [illegible] जमाबन्दी सम्वत 2070 ल0 2073 के खाता सं0 17[illegible] आराजी हाल खसरा नम्बर 312 रकबा 0.11 है0, 316 [illegible] रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम सानोली तहसील मुण्डा[illegible] है, जिसमें [illegible]जी हाल खसरा नम्बर 316 रकबा 0.24 है0 इस वाद [illegible] उक्त विवादित आराजी मिन वादी सं0 1 व वादी सं0 2 व तर0 प्र[illegible]गण सं0 3 व 4 की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी मे मिन वादी का 1/2 भाग व वादी 2 व तर0 प्रतिवादीयान सं0 3 व 4 का 1/2 भाग है तथा मिन वादी व तर0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:22:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार सामलात में आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी उक्त विवादित आराजी गैर वास्ता व गैर काबिज व्यक्ति है, जिसका विवादित आराजी से कोई लेना देना व संबंध व सरोकर नही है परन्तु प्रतिवादीगण जबरन लठ के बल पर मिन वादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। वादीगण उक्त विवादित आराजी गैर वास्ता व गैर काबिज व्यक्ति है, जिसका विवादित आराजी से कोई लेना देना व संबंध व सरोकार नही है परन्तु प्रतिवादीगण जबरन लठ के बल पर मिन वादीगण की आराजी पर कब्जा कर, निर्माण करना चाहते है तथा मिन वादीगण को आराजी से बेदखल करना चाहते है। जिसका प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार नही है। वादीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति है जो कानून कायदे में विश्वास रखते है जो शान्तिपूर्वक अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिज होकर काश्त कार्य कर रहे है, जबकी प्रतिवादीगण मुठ मर्द व लडाकू प्रवृति के आदमी है। जो कानून कायदे की कतइ परवाह नही करते है, जिसने एक नाजायज गिरोह बना रहा है जो, लठ के बल पर जबरन मिन वादीगण की आराजी पर दिनांक 1.11.2016 को कब्जा कर, निर्माण करना चालू कर दिया, जिस मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण आमदा लडाई झगडा हो गये तथा ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि हम रातो रात निर्माण कार्य पूरा कर लेगे तथा एक बार निर्माण पूरा होनेपर तुम मेरा कुछ नही बिगडा सकते है तथा निर्माण कार्य बन्द नही किया। इसलिए मिन वादीगण, प्रतिवादीगण द्वारा जबरन किये गये जा रहे निर्माण को जरिये आदेशात्मक व्यादेश से हटवाने क अधिकारी है। इसलिए दावा आदेशात्मक व्यादेश पेश करना लाजिमी आया है।

वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि :– कि डिक्री आदेशात्मक व्यादेश की इस प्रकार पारित की जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 316 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर, किये जा रहे निर्माण को जरियें आदेशात्मक व्यादेश से हटवाया जावे व पूर्व की स्थिति बहाल कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी करवाए जाने के बाद प्रतिवादी उपस्थित नही हुए। वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2070–73 एव पेश किये है जो शामिल मिसल है। वकील वादी की बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी पर किये गये जबरन कब्जा को हटवाया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल कराई जावे। वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण के वाद का यह न्यायालय स्वीकार करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:22:31 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 316 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम

४५६

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

सानोली तहसील मुण्डावर पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर किये गये निर्माण को हटाया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिए हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 0.24 है0 पर जबरन कब्जा ना करे, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य ना करे, वादीगण को बेदखल ना करे, वादीगण को फसल बोने व काटने में मजाहमत पैदा नही, करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

24/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:22:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
261 / 2016	03.11.2016	24.02.2021

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति नाई निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. सुनील पुत्र रामसिंह जाति नाई निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादीगण

बनाम

1. दयाराम पुत्र सुलतान जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. रामकुवार पुत्र सुलतान जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: असल प्रतिवादीगण

3. सुनीता पुत्र रामसिंह जाति नाई हाल पत्नी दयानन्द निवासी नया गांव चक सं0 1 नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
4. सरोज पुत्री रामसिंह जाति नाई हाल पत्नी सतीश निवासी बेरी तहसील व जिला महेन्द्रगढ, हरि0।

–: तरतीबी प्रतिवादीयान

दावाः– आदेशात्मक व्यादेश मय हुकमईतनाई दवामी

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री सरजीत कुमार व प्रतिवादी की हनुमान प्रसाद गुप्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.02.2021 को रामसिंह राजावत उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री [illegible]ता है एवं विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 316 रकबा [illegible] तहसील मुण्डावर पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर किये गये निर्माण [illegible] हटाया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादीगण को सदेव सदैव के लिए हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वा[illegible]ण के आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 0.24 है0 पर जबरन कब्जा ना करे, किसी भी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:22:31 IST
Reason: SelfAttested

२४६

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

निर्माण कार्य ना करे, वादीगण को बेदखल ना करे, वादीगण को फसल बोने व काटने में मजाहमत पैदा नही करे। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 24.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

२४६ 24.2.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:22:31 IST
Reason: SelfAttested